रजिस्ट्री सं० डी (डी०)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

LIBRARY OF INDIA

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 18, 1978/पौष 28, 1899

No. 21] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 18, 1978/PAUSA 28, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1978

का. आ. 22(अ).—दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का अधिनियम ii) की धारा 24 की उपधारा 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 346 के साथ पठित जांच आयोग अधिनियम की धारा 5(4) के अधीन, तारीख 28-5-1977 की अधिसूचना संख्या : का. आ. 374(ई) के अधीन गठित जांच आयोग द्वारा दिल्ली के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट श्री. पी. के. जैन के न्यायालय को भेजे जाने वाले मामले के अभियोजन के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 178 और 179 के अधीन किए गए अपराधों के लिए श्री प्रणव कुमार मुकर्जी पर मुकदमा चलाने के लिए एडवोकेट श्री कार्ल खण्डालावाला को विशेष पब्लिक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती हैं।

[सं. 6/11020/2/78-कमीशन संक्शन]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 1978

S. O. 22(E).—In exercise of the powers under Sub-section 6 of Section 24 of the Criminal Procedure Code (Act ii of 1974) the Central Government hereby appoints Shri Karl Khandalavala, Advocate, as special public prosecutor for the purpose of prosecuting the case to be forwarded under Section 5(4) of the Commission of Inquiry Act read with Section 346 of the Cr. PC to the court of Shri P. K. Jain, Chief Metropolitan Magistrate, Delhi by the Commission of Inquiry constituted under Notification No. S.O. 374(E) dated 28-5-1977 for the trial of Shri Pranab Kumar Mukherjee for offences under Sections 178 and 179 IPC.

[No. VI/11020/2/78-Comsec.]

का. आ. 23(अ).—दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का अधिनियम ii) की धारा 24 की उपधारा 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 346 के साथ पठित जांच आयोग अधिनियम की धारा 5(4) के अधीन, तारीख 28-5-1977 की अधिसूचना संख्या : का. आ. 374(ई) के अधीन गठित जांच आयोग द्वारा दिल्ली के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट श्री. पी. के. जैन के न्यायालय को भेजे जाने वाले मामले के अभियोजन के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 178 और 179 के अधीन किए गए अपराधों के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी पर मुकदमा चलाने के लिए एडवोकेट श्री कार्ल खण्डालावाला को विशेष पब्लिक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती हैं।

[सं. 6/11020/2/78-कमीशन, संक्शन]

जे. सी. पाण्डेय, संयुक्त सचिव

S. O. 23(E).—In exercise of the powers under Sub-section 6 of Section 24 of the Criminal Procedure Code (Act ii of 1974) the Central Government hereby appoints Shri Karl Khandalavala, Advocate, as special public prosecutor for the purpose of prosecuting the case to be forwarded under Section 5(4) of the Commission of Inquiry Act read with Section 346 of the Cr. PC to the Court of Shri P. K. Jain, Chief Metropolitan Magistrate, Delhi by the Commission of inquiry constituted under Notification No. S.O. 374(E) dated 28-5-1977, for the trial of Smt. Indira Gandhi for offences under Sections 178 and 179 IPC.

[No. VI/11020/2/78-Comsec.]

J. C. PANDEY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978